भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2359

उत्तर देने की तारीख 04.08.2025

संविधान हत्या दिवस का आयोजन

2359. श्री दुलू महतो :
श्री जुगल किशोर :
डॉ. मन्ना लाल रावत :
श्री भोजराज नाग :
श्री आलोक शर्मा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
सुश्री कंगना रनौत :
श्री गोडम नागेश :
श्री दिलीप शइकीया :
श्री प्रवीण पटेल :
श्री प्रताप चंद्र षड़ंगी :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री लुम्बाराम चौधरी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान हत्या दिवस के वर्ष भर के आयोजन के लिए सरकार का राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन के साथ किस प्रकार समन्वय करने का प्रस्ताव है;

(ख) उक्त पहल की अनुमानित पहुँच और प्रभाव क्या है तथा जन सहभागिता का आकलन करने के लिए किसी पूर्व-निर्धारित मानदंड का ब्यौरा क्या है;

(ग) देशभर में, विशेषकर छत्तीसगढ़ में, छात्रों और युवाओं में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए किए गए/किए जा रहे विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है और मध्य प्रदेश का जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (एमआईएसए), 1971 के अंतर्गत जेल में बंद सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पेंशन प्रदान करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय और गृह मंत्रालय के माध्यम से औपचारिक रूप से अधिसूचित किया है कि 1975 में आपातकाल लागू होने के उपलक्ष्य में 25 जून को प्रतिवर्ष "“संविधान हत्या दिवस" का आयोजन किया जाएगा। 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर, सरकार 25.06.2024 से 25.06.2026 तक की अवधि के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ संविधान हत्या दिवस को आयोजित कर रही है। इस संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक निर्देश पहले जारी किए जा चुके हैं कि वे दो वर्ष तक स्मारक कार्यकलापों का आयोजन करें। संस्कृति मंत्रालय की देखरेख में प्रमुख विषयगत प्रदर्शनियां लगाई गईं और यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में 50 प्रमुख स्थानों पर सार्वजनिक रैलियाँ और शैक्षिक संगोष्ठियाँ जैसे कार्यकलाप आयोजित किए जाएं।

(ख): यह एक राष्ट्रीय आयोजन है जिसमें विशेष रूप से शिक्षा और जन भागीदारी पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसके मानदंड इस प्रकार हैं:

- विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों सहित देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन।
- उपस्थिति रिकॉर्ड, फोटोग्राफ और कार्यक्रम रिपोर्ट के माध्यम से अनिवार्य दस्तावेजीकरण के साथ सहभागिता।
- सामूहिक रैलियों, मीडिया कवरेज, तथा छात्रों और युवाओं के लिए निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद और नुक्कड़ नाटकों जैसी प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमों की श्रृंखला के माध्यम से दृश्यता/प्रचार।

संस्थाओं को विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य सौंपा गया, जिससे जन भागीदारी सुनिश्चित हो सके तथा आपातकाल अधिरोपित किए जाने संबंध में जन जागरूकता बढ़ाई जा सके।

(ग): देश भर में छात्रों और युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशिष्ट उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- संवैधानिक मूल्यों पर केन्द्रित निबंध लेखन, पोस्टर निर्माण, नारा प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, नुक्कड़ नाटक का आयोजन और फिल्म स्क्रीनिंग।
- न्यायविदों, कानूनी विशेषज्ञों और आपातकाल अधिरोपित किए जाने के समय पर मौजूद व्यक्तियों को शामिल करते हुए संगोष्ठियां।
- सक्रिय छात्र भागीदारी और संकाय की भागीदारी के साथ जन जागरूकता मार्च।
- पैनल चर्चा में संविधान की प्रस्तावना और विशेषताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को संविधान हत्या दिवस से संबंधित कार्यकलाप आयोजित करने का निर्देश दिया गया है जो वर्ष भर आयोजित किए जाएंगे। तदनुसार, मध्य प्रदेश में एक वृहत कार्यक्रम आयोजित किया गया और छत्तीसगढ़ में एक वीआईपी कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

(घ): जी, नहीं।

*****